न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 72/2025

कनीराम पुत्र लालचन्द जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र लालचन्द जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा —— प्रार्थी
2. श्री संजय चाण्डक ——अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी सं. 3

निर्णय :—

दिनांक:— 12-11-2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा है प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम सांझा खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एलकेएस के खाता सं. 104/80 के प.नं. 91279 (8), 91280 (9) की कुल 3. 390 हैक. नहरी मय रास्ता खातेदारी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। त्रिप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम सांधा खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एलकेएस के खाता सं. 33/23 के प.न. 6/285 (41) की कुल 1.607 हैक. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रार्थी का 1/3 हिसा व अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम सांझा खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 15 एलजीडब्ल्यू—ए के खाता सं. 44/41 के प.न. [illegible] (6), 11/295 (5) की कुल 2.277 हैक. नहरी मय खाला खातेदारी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वा[illegible] प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एलकेएस के खाता सं. 11/7 के प.नं. 91284 (33) की 1.897 हैक. नहरी जय रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:25:43 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी सं.2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एलकेएस के खाता सं. 6/5 के प.नं. 9/284 (33) की 1.898 हैक. हरी अनकमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि उक्त वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरू बंटवारा पक्षकारान के हिस्से में आई कृषि भूमि पर प्रत्येक पक्षकार शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त धरू बंटवारा पक्षकारान के मध् य तहरीर करवाकर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया। मुताबिक घरू बंटवारा प्रार्थी को निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

चक 7 एलकेएस के खाता सं. 104 के प.नं. 9/289 (9) किला नं. 1/.253, 9/.101, 10 ता 12, 19, 20, 227.156 की कुल 1.775 है. व चक 7 एलकेएस के खाता सं. 6 के प.नं. 9/284 (33) किला नं. 3/.127, 8/126, 13/.063, 14/.044, 17/.088, 24/088 की 0.536 हैक. इस प्रकार दोनो खातों की कुल 2.311 हैक. कृषि भूमि प्राप्त हुई व प्रार्थी स्वंय के नाम चक 7 एलकेएस के खाता सं. 117 के प.नं. 9/284 (33) की 1.897 हैक. नहरी मय रास्ता खातेदारी इस प्रकार कुल 4.208 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खातेदारी । उक्त घरू बंटवारा में चक 7 एल्केएस के खाता सं. 104 के प.नं. 9/279 (8) किला नं. 1 ता 5 में से किला नं. 3 ता 5 में दो–दो बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की सांझी रास्ता बाबत तय पाई थी व किला नं. 2 में 20 फिट घुमने के लिये रास्ता छोड़ा था। प्रार्थी इसी रास्ता से होता हुआ अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर बंटवारा के समय से ही शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा खातेदारी घोषणा प्राप्त करने व अपना खाता अप्रार्थीगण से तकसीम करवाने का हकदार व इसी अनुसार प्रार्थी है।

यह कि अप्रार्थीगण जो कि तेज तर्रार व शातिर किस्म के व्यक्ति है। अप्रार्थीगण ने आपस में मिलीभगत करते हुए प्रार्थी को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का तबादला आपस में एक दूसरे के साथ दिनांक 09.07.2025 को तहसीलदार पीलीबंगा से करवा लिया व मुताबिक तबादला राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करवाने की फिराक में है। जो कृषि भूमि घरू बंटवारा में प्रार्थी को प्राप्त हुई थी उस कृषि भूमि को प्रार्थी ने काफी मेहनत मजदूरी कर फसल उपजाऊ बनाया है लेकिन अब अप्रार्थीगण के मन में बदनियती आ गई है, प्रार्थी को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि में आये दिन दखलंदाजी करते रहते है व कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा करते है, उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को औने पौने दामों में किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है व प्रार्थी के अधिकारी के विपरीत कोई दस्तावेज पंजीयन करवाने की फिराक में है व प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये छोड़े गये रास्ता को बन्द करने की फिराक में है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुशकिल होगा व रास्ता बन्द होने से प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि में आना जाना व कृषि कार्य करना दुर्भर हो जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रार्थी के घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें, अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व प्रार्थी के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तोवज पंजीयन न करवाये व प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये छोडे गये रास्ता को बन्ध न करे व प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा कारित न करते व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:25:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा तफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करे, अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व प्रार्थी के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तोवज पंजीयन न करवाये व प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये छोड़े गये रास्ता को बन्द न करे व प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा कारित न करते व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। एक पक्षिय बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई जिसपर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय चाण्डक हाजिर आये वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 निम्नानुसार है–

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–1 में दर्ज यह कथन कि, श्उक्त अनवान का वाद–पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। यहां तक स्वीकार है। इस मद में दर्ज शेष कथन केवल मात्र कयास के आधार पर अंकित किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 2 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से सबंधित है एंव स्वीकार है । यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 3 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से सबंधित है एंव स्वीकार है।यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या – 4 में दर्ज कथन वर्तमान राजस्व रिकार्ड से भिन्न दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। चक 15 एल.जी. डब्ल्यु.श्एश् के खाता संख्या– 44/41 के प0नं0 10/295 के कि0नं0 3/5 ता 6, 15 व प0नं0 11/295 के कि0नं0 1, 10, 11, 20, 21 में स्थित कुल 2.277 है० नहरी मय गै०मु० खाला कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द 2/3 हिस्सा, कनीराम पुत्र लालचन्द 1/3 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 5 में दर्ज कथनों का संबंध प्रार्थी से है जिन्हे दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थी पर है। अप्रार्थीगण से असबंधित होने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 6 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से सबंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 7 में घरू–बंटवारा सबंधि जो कथन दर्ज किए गए है वे पूर्णतयः असत्य एंव आधारहीन दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के मध्य कानूनी रूप से कोई भी घरू–बंटवारा ना तो कभी लिखा गया है ओर ना ही कभी सम्पादित हुआ है। इसलिए प्रार्थी के द्वारा इस मद में ऐसे आधारहीन दस्तावेज के आधार परकाबिज काश्त होने के जो कथन दर्ज किए गए है वे पूर्णतयः असत्य है एंव अस्वीकार है।

इसी मद के अन्त में मद श्कश् में प्रार्थी ने जो–जो कथन दर्ज किए है वे पूर्णतयः काल्पनिक, मनचाहे तरिके से एंव कानून में प्रदत प्रावधानों के [illegible] होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी कानूनः इस प्रार्थना–पत्र में दर्ज [illegible] किसी भी प्रकार की घोषणा श्रीमान न्यायालय से प्राप्त करने का हकदार ही नहीं है। इस [illegible] में दर्ज असत्य कथनों के आधार पर प्रार्थी किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण से खाता तकसीम [illegible]रवाने का भी हकदार नहीं है । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:25:43 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 8 में प्रार्थी ने जो–जो कथन दर्ज किए है वे प्रार्थी की कमजोर मानसिकता को दर्शित करते है। कानूनः संयुक्त खाता में दर्ज प्रत्तेक

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

सहकाश्तकार अपने हिस्सा में दर्ज कृषि को रहन,बैय,हस्तान्तरण,तबादला कर सकता है। उसे उपरोक्त में से कोई भी कार्य करने से अन्य कोई भी सहकाश्तकार कानूनः रोक नहीं सकता है। प्रार्थी ने इस मद में असत्य, आधारहीन एंव कानून में प्रदत प्रावधानों के विपरित कथन दर्ज किए है जो पूर्णतयः अस्वीकार योग्य है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार से अस्थाई–निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनः अधिकारी ही नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज योग्य है।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध कृषि भूमि में दखलनदाजी करने, कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा करने, अजनबी व्यक्ति को रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने, छोड़े गए रास्ता को बन्द करने बाबत जो–जो आरोप लगाए है वे तमाम असत्य, आधारहीन एंव बिना ठोस दस्तावेजी प्रमाणों के दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है । सम्पति के विक्रय के सबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण न होने के कारण केवल संदेह मात्र पर न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। ऐसे मिथ्या आरोपों के आधार पर प्रार्थी श्रीमान न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। ओर ना ही कानूनः किसी खातेदार टिनेन्ट के विरूद्ध अस्थाई–निषेधाज्ञा प्रदान की जा सकती है

यह कि अन्य तथ्य वरवक्त बहस निवेदन कर दिए जावेंगे। अतः जवाब प्रार्थनादृपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त अनवान का प्रार्थना–पत्र असत्य कथनों पर, आधारहीन एंव बिना ठोस विधिक दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत किया हुआ होने के कारण खारीज फरमाया जावे एंव पूर्व में जारी एक तरफा अस्थाई– निषेधाज्ञा के आदेश दिंनाक 16/07/2025 को खारीज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र में स्टेट जवाब वाद पत्र में वांछित है।

प्रार्थना पत्र में बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि कृषि भूमि घरू बंटवारा में प्रार्थी को प्राप्त हुई थी उस कृषि भूमि को प्रार्थी ने काफी मेहनत मजदूरी कर फसल उपजाऊ बनाया है अप्रार्थीगण कृषि भूमि में आये दिन दखलंदाजी करते रहते है व कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा करते है, उक्त कृषि भूमि को औने पौने दामों में किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है व प्रार्थी के अधिकारी के विपरीत कोई दस्तावेज पंजीयन करवाने की फिराक में है व प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये छोड़े गये रास्ता को बन्द करने की फिराक में है इस लिए प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि में आना जाना व कृषि कार्य करना दुर्भर हो जायेगा। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध कृषि भूमि में दखलनदाजी करने, कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा करने, अजनबी व्यक्ति को रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने, छोड़े गए रास्ता को बन्द करने बाबत जो–जो आरोप लगाए है वे तमाम असत्य, आधारहीन एंव बिना ठोस दस्तावेजी प्रमाणों के दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार हैं प्रार्थना–पत्र असत्य कथनों पर, आधारहीन एंव बिना ठोस विधिक दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत किया हुआ होने के कारण खारीज फरमाया जावे एंव पूर्व में जारी एक तरफा अस्थाई– निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 16/07/2025 को खारीज फरमाया जावे निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:25:43 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर भलीभांति मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

भी है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी निर्बाध रूप से रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अस्थाई व्यादेशा अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। दिनांक 16.07.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 12-11-2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:25:43 IST
Reason: SelfAttested